

IS 15700:2005



सेवात्मक प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद**(भूमि अर्जन अनुभाग)****104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ**Website : <http://www.upavp.in> E-mail : info@upavp.com

भूमि अर्जन अनुभाग IS 15700

SOMS

फ़ोन सं०: 2315/एल०ए०सी०/एच०क्यू०/

नोटिस

दिनांक: 09.10.2020

{ उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965**(उ.प्र. अधिनियम संख्या-1, 1966) की धारा-28 के अन्तर्गत नोटिस }**

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद ने अयोध्या नगर की बढ़ती हुई आवासीय समस्या के निराकरण हेतु आवासीय योजना "भूमि विकास, गृहस्थान एवं बाजार योजना, अयोध्या" बनाई है। योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमायें निम्न प्रकार हैं :-

उत्तर:- खसरा संख्या-936, व लखनऊ-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-28, (खसरा संख्या-1351 भाग, 1350 भाग, 1348 भाग, 1354 भाग, 1355 भाग, 1356 भाग, 1398 भाग, 1332 भाग, 1326 भाग, 1330 भाग, 1334 भाग, 1323 भाग, 1322 भाग, 1321 भाग, 1402 भाग, 1401 भाग, 1405 भाग, 1404 भाग, 1522 भाग, 1523 भाग, 1525 भाग, 1528 भाग, 1529 भाग, 1535 भाग, 1536 भाग, 1542 भाग ग्राम-बरहटा मांझा, परगना-हवेली अवध, तहसील-सदर, जिला-अयोध्या) एवं खसरा संख्या-1402 भाग, 1307, 1308, 1313, 1312, 1311, 1310, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1288, 1128, 1127, 1126, 1124, 1123, 1120, 1119, 1118, 1117, 1116, 1115, 1114, 1113, 1112, 1111, 1109, 1108, 1052, ग्राम-बरहटा मांझा, परगना-हवेली अवध, तहसील-सदर, जिला-अयोध्या।

पूरब:- सरयू नदी तटबंध (खसरा सं.-3 भाग) ग्राम-तिहुरा मांझा, परगना-हवेली अवध, तहसील-सदर, जिला-अयोध्या।

दक्षिण:- खसरा सं.-3 भाग, 4/2 भाग, 76, 1435 भाग, 403, 404, 408, 409, 444 भाग, 445, 447, 461, 460/2341, 462, 464, 467, 468, 469, 472, 473, 474, 476, 477, 478, 633, 627, 626, 665 भाग, 666, 667, 668, 669, 679, 681, 682, 688, 687, 686, 990, 993, 996, 995, 1019, 999 भाग, 1000, 1001 ग्राम-तिहुरा मांझा, परगना-हवेली अवध, तहसील-सदर, जिला अयोध्या। खसरा संख्या-696 भाग, 737, 731, 769 भाग, ग्राम-शाहनेवाजपुर मांझा, परगना-हवेली अवध, तहसील-सदर, जिला-अयोध्या।

पश्चिम:- खसरा सं.-1197, 1191, 1190, 1189, 769 भाग, 586, 467, 465, 466 भाग, 406 भाग, 389, 388, 379, 377, 376, 337 भाग (लखनऊ-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-28, ग्राम-शाहनेवाजपुर मांझा, परगना-हवेली अवध, तहसील-सदर, जिला-अयोध्या) व खसरा संख्या-223, 222, 163, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 182, 183, 186 एवं 190 भाग, ग्राम-शाहनेवाजपुर मांझा, परगना-हवेली अवध तहसील-सदर, जिला-अयोध्या। खसरा सं.-1497, 1496, 1495, 1494, 1493, 1492, 1487, 425, 426, 427, 429, 430, 432, 433, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 450, 464, 463, 477, 497, 500, 499, ग्राम-बरहटा मांझा, परगना-हवेली अवध, तहसील-सदर, जिला-अयोध्या।

योजना में समाविष्ट भूमि का विवरण व मानचित्र, कार्यालय आवास आयुक्त, (भूमि अर्जन अनुभाग) उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता-परियोजना प्रबन्धक, निर्माण खण्ड-निर्माण इकाई-अयोध्या-1, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, आफिस काम्पलेक्स, अंगूरीबाग योजना अयोध्या, में किसी भी कार्य दिवस में पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक देखे जा सकते हैं।

योजना क्षेत्र में स्थित निर्माणों के भूस्वामियों पर उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 के प्राविधानों के अनुसार बेटरमेन्ट फी/ विकास व्यय भी अधिभारित होगा।

योजना के विपरीत आपत्तियों को, इस नोटिस के प्रथम बार उ.प्र. गजट के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर, कार्यालय आवास आयुक्त, (भूमि अर्जन अनुभाग) उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता-परियोजना प्रबन्धक, निर्माण खण्ड-निर्माण इकाई-अयोध्या-1, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद आफिस काम्पलेक्स, अंगूरीबाग योजना अयोध्या में ली जायेंगी। निर्धारित समय के बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। आपत्ति में योजना का सही नाम व योजना में समाविष्ट आपत्तिकर्ता की भूमि/भवन/ग्राम का नाम/खसरा नम्बर/भूमि का क्षेत्रफल एवं अन्य सभी विवरण स्पष्ट रूप से अंकित होने चाहिए।

आवास आयुक्त

परिषद ने ग्राहकों की शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण के लिए

जन सुविधा केन्द्र

की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा अपनी शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं। यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक उपलब्ध है।

डायल करे

1800-180-5333 (टोल फ्री)

0522-2236803